क्रमांक 1270-ज-1-80/29789.—श्री सुलतान सिंह, पुत्र श्री हीरा सिंह, गांव कनीना, तहसील महेन्द्रगढ़, जिल नारनौल, की दिनांक 28 दिसम्बर, 1975, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्य पाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्का अधिनियम, 1948, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 ए 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुलतान सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3332-ज(III)-70/14190, दिनांक 27 जुलाई, 1970 तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती धनी देवी के नाम खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी ग शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 26 अगस्त, 1980

क्रमांक 1305-ज-II-80/30009.—श्री रामसरूप, पुत्र श्री रामचन्द्र, गांव लडायन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 16 नवम्बर, 1978, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री रामसरूप की मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरका की अधिसूचना क्रमांक 3575-ज-II-72/38977, दिनांक 19 अक्तूबर, 1972, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती बखतावरी के नाम खरीफ, 1979 से 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 27 अगस्त, 1980.

क्रमांक 602-ज(II)-80/30132.—श्री लाल चन्द, पुत्र श्री रामसरण दास, वार्ड नं. 6, मकान नं. 1055, भिवानी स्टैण्ड, रोहतक, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 10 जनवरी, 1979, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्व पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धार 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री लालचन्द की मुब्लिक 150 रुपये वार्षिक क जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1204-र-(III)-68/1471, दिनांक 3 अप्रैल, 1968 तथा अधिसूचन क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती रुकमनी देव के नाम खरीफ 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदा करते हैं।

क्रमांक 1227-ज(II)-80/30136.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा रा में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिका का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दाता राम, पुत्र श्री नन्द राम, गांव अभयपुर, तहसील व जिला गुड़गांवा, को रबी, 19 से 100 रुपये, खरीफ 1970 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी ग शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान हैं।

क्रमांक 1265-ज(I)-80/30286.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिका का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री रतन सिंह, पुत्र श्री नानक राम, गांव भागेश्वरी, तहसील दादरी, जिला भिवानी, खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रब 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1313-ज(I)-80/30291.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, जैसा कि उसे हरियाणा राज्य अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री धूमी राम, पुत्र श्री सोहन, गांव खुशपुरा, तहसील रिवाड़ी, जिला नारनौल, को र 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।